

सार्वजनिक नीलामी हेतु नोटिस										
सिक्वोरिटाइजेशन एण्ड रिकन्ट्रक्शन ऑफ फाइनेसियल ऐसेट्स एक्ट-2002 के अन्तर्गत, चल/अचल सम्पत्ति की नीलामी, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त एक्ट के अन्तर्गत निम्नलिखित बकायेदारों को पहले डिमाण्ड नोटिस जारी किया गया, तदोपरांत बैंक के पक्ष में बन्धक चल/अचल सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा ले लिया गया है। बैंक द्वारा निम्न वर्णित अचल सम्पत्ति को सिक्वोरिटी इन्ट्रेस्ट (इन्फोर्समेंट) एक्ट 2002 के रूल 8 व 9 के अन्तर्गत "जहाँ है, जैसी है और जो कुछ है और जो कुछ है दायित्व रहित" के आधार पर नीलामी द्वारा विक्रय करने का निर्णय लिया गया है।										
ई.एम.डी. जमा करने की अन्तिम तिथि - 13.08.2020								नीलामी की तिथि-14.08.2020		
क्र. सं.	खातेदार/जमानतदार का नाम व शाखा	सम्पत्ति के मालिक का नाम	कुल बकाया 13(2) के अनुसार	अचल सम्पत्ति का विवरण	चौहद्दी	डिमाण्ड नोटिस तथा कब्जा की तिथि	रिजर्व प्राइज	ई.एम.डी. (रुपए मे	शाखा प्रबन्धक का नाम व मोबाइल नं.	कब्जे का प्रकार
1.	शाखा- बढ़नी, जिला- गोरखपुर ऋणी-मेसर्स-माँ अम्बे ट्रेडर्स प्रोपराइटर-दिलीप कुमार जायसवाल, जमानतदार-1. राजेश कुमार जायसवाल, 2. तेजू जायसवाल, 3. तारकेश्वर जायसवाल, 4. सुनील जायसवाल	सम्पत्ति के स्वामी-1.दिलीप कु. जायसवाल, 2. राजेश कुमार जायसवाल, 3. तारकेश्वर जायसवाल, 4. सुनील जायसवाल, 5. तेजू जायसवाल,	रु. 23,75,703.00 +(ब्याज वसूली की दिनांक तक व अन्य खर्च + विधिक खर्च)	सम्पत्ति-आराजी नं. 113 एमआई, मौजा-बढ़नी, तप्पा- महासिन, परगना-उनवल, तहसील-खजनी, जिला- गोरखपुर एरिया- 5 डिसमिल (2178 वर्ग फीट)	उत्तर - पक्का रोड, दक्षिण-खेत गौरी शंकर सिंह, पूरब- अंगद यादव का प्लाट, पश्चिम-वरछे का खेत	22.10.2018 13.02.2019	रूपया- 4271337/-	रूपया- 427134/-	श्री अंकित साहू 8795819639	सांकेतिक कब्जा
2.	शाखा- बढ़नी, जिला-गोरखपुर ऋणी-मेसर्स-माँ अम्बे ट्रेडर्स प्रोपराइटर-दिलीप कुमार जायसवाल, जमानतदार-1. राजेश कुमार जायसवाल, 2. तेजू जायसवाल 3. तारकेश्वर जायसवाल, 4. सुनील जायसवाल	सम्पत्ति के स्वामी- 1. तेजू जायसवाल पुत्र महादेव जायसवाल,	रु. 23,75,703.00 +(ब्याज वसूली की दिनांक तक व अन्य खर्च + विधिक खर्च)	सम्पत्ति- आराजी नं. 116 एमआई, मौजा- हरदी चक, तप्पा-महासिन, परगना-उनवल, तहसील-खजनी, जिला- गोरखपुर एरिया- 3.00 डिसमिल (1306.80 वर्ग फीट)	उत्तर-श्रीमती उसवती देवी की भूमि, दक्षिण - रास्ता, पूरब- रास्ता, पश्चिम - मुस्तरि का प्लाट	22.10.2018 13.02.2019	रूपया- 1339101/-	रूपया- 133910/-	श्री अंकित साहू 8795819639	सांकेतिक कब्जा
3.	शाखा- बढ़नी, जिला-गोरखपुर ऋणी- मेसर्स - सचिन मिनरल वाटर, प्रोपराइटर- सचिन सिंह	सम्पत्ति के स्वामी- सचिन सिंह पुत्र पुरूषोत्तम सिंह	रु. 2598747/- +(ब्याज वसूली की दिनांक तक व अन्य खर्च + विधिक खर्च)	सम्पत्ति- अराजी नं. 09 एम आई, मौजा-पैसा, तप्पा- महासिन, परगना-उनवल धुरियापार, तहसील-खजनी, जिला-गोरखपुर एरिया- 273.51 वर्ग मीटर (2944 वर्ग फीट)	उत्तर-श्रीमती शहदेई देवी की भूमि दक्षिण- श्री मोती लाल की भूमि, पूरब- जमीन विक्रेता पश्चिम- सड़क	15.07.2019 21.10.2019	रूपया- 1023593/-	रूपया- 102359/-	श्री अंकित साहू 8795819639	सांकेतिक कब्जा
4.	शाखा- बढ़नी, जिला गोरखपुर । ऋणी-बलवंत सिंह जमानतदार- अवधेश सिंह	बलवंत सिंह पुत्र अवधेश सिंह	रु. 1400956/- +(ब्याज वसूली की दिनांक तक व अन्य खर्च + विधिक खर्च)	अराजी नं. 58, मौजा- गोपालपुर, तप्पा- महासिन, परगना-उनवल, तहसील- खजनी, जिला-गोरखपुर एरिया-830.66 वर्ग मीटर	उत्तर- शेषमणि सिंह का खेत, दक्षिण-चकमार्ग, पूरब- सड़क, पश्चिम-ओम प्रकाश सिंह का खेत।	30.11.2018 13.02.2019	रूपया- 1611350/-	रूपया- 161135/-	श्री अंकित साहू 8795819639	सांकेतिक कब्जा
5.	शाखा-बढ़नी, जिला-गोरखपुर ऋणी- श्री विनोद कुमार श्रीमती मुनक्का देवी	श्रीमती मुनक्का देवी पत्नी श्री विनोद कुमार	रु.1251866/- +(ब्याज वसूली की दिनांक तक व अन्य खर्च + विधिक खर्च)	अराजी नं.128MI मौजा-बढ़नी, तप्पा-महसीन परगना-उनवल, तहसील- खजनी, जिला-गोरखपुर एरिया-860.80 वर्गफीट	उत्तर-रास्ता दक्षिण-विक्रेता की शेष भूमि, पूरब- विक्रेता की शेष भूमि, पश्चिम-विक्रेता की शेष भूमि,	02.05.2019 13.09.2019	रूपया- 1441150/-	रूपया- 144000/-	श्री अंकित साहू 8795819639	सांकेतिक कब्जा
6.	शाखा- खलीलाबाद, जिला संत कबीर नगर। ऋणी- मेसर्स जय अम्बे इण्टरप्राइजेज प्रोपराइटर बालकेश्वर त्रिपाठी	बालकेश्वर त्रिपाठी पुत्र व्यास त्रिपाठी 2. श्रीमती संगीता त्रिपाठी पत्नी बालकेश्वर त्रिपाठी	रु. 7744176/- +(ब्याज वसूली की दिनांक तक व अन्य खर्च + विधिक खर्च)	प्लाट नं. 40 इण्डस्ट्रियल एरिया, संतकबीर नगर, खलीलाबाद, ग्राम- पोस्ट- मह अवा, पनियवरा एरिया-2939.75 वर्गमीटर	उत्तर-निजी स्वामित्व की जमीन, दक्षिण- 24 मीटर चौड़ा रोड नं. 4, पूरब- निजी स्वामित्व की जमीन, पश्चिम- प्लाट नं. डी -39	22.08.2015 17.03.2016	रूपया- 4524275/-	रूपया- 452428/-	श्री संदीप साहू 8795813984	सांकेतिक कब्जा
7.	शाखा- सरस्वती शिशु मंदिर, जिला-गोरखपुर ऋणी- 1. प्रभावती देवी पत्नी गंगा प्रसाद 2. रमेश चन्द्र गुप्ता पुत्र गंगा प्रसाद जमानतदार-1. आनन्द कुमार गुप्ता पुत्र रमेश चन्द्र गुप्ता	सम्पत्ति के स्वामी- श्रीमती प्रभावती देवी पत्नी गंगा प्रसाद	रु. 412962/- +(ब्याज वसूली की दिनांक तक व अन्य खर्च + विधिक खर्च)	दो मंजिला भवन मकान नं. 803 स्थित मौजा जंटेपुर उत्तरी (निकट कृष्णा नगर कालोनी, गैराक मर्चेन्ट शॉप के बगल में), तप्पा-कस्बा, परगना- हवेली, तहसील-सदर, जिला- गोरखपुर एरिया- 840 वर्ग फीट	उत्तर- सक्सेना का मकान, दक्षिण-रास्ता पूरब- मेवा लाल चौहान का मकान, पश्चिम- उर्मिला चौहान का मकान	20.05.2019 17.09.2019	रूपया- 1797500/-	रूपया- 179750/-	श्री आशीष द्विवेदी 8795819637	सांकेतिक कब्जा
8.	शाखा- सरस्वती शिशु मंदिर, जिला-गोरखपुर ऋणी-मनोज ट्रेडर्स प्रो. मनोज कुमार जायसवाल	श्रीमती शीला देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल	रु. 8901537/- +(ब्याज वसूली की दिनांक तक व अन्य खर्च + विधिक खर्च)	दो मंजिला आवासीय भवन मकान नं.0215-सी, स्थित आराजी नं.105/1, मौजा दिवान बाजार (निकट चन्द्रकान्ती रमावती देवी आर्य महिला पी.जी. कालेज) तप्पा- कस्बा, परगना-हवेली, तहसील -सदर, जिला-गोरखपुर एरिया-1500 वर्गफीट	उत्तर-खडंजा रास्ता दक्षिण-चन्द्रकान्ती रमावती देवी आर्य महिला पी.जी. कालेज का कंपाउण्ड पूरब-इन्द्रजीत जायसवाल का मकान व उसके बाद चन्द्रकान्ती रमावती देवी आर्य महिला पी.जी. कालेज पश्चिम-श्रीमती मायादेवी का मकान।	29.06.2016 16.09.2019	रूपया- 3436000/-	रूपया- 344000/-	श्री आशीष द्विवेदी 8795819637	सांकेतिक कब्जा
9.	शाखा-उर्दू बाजार जिला-गोरखपुर ऋणि-श्री साजिदुल इस्लाम, श्रीमती कुरैशा खातुन, श्री इस्लाम हुसैन जमानतदार-1.श्री अकबर अली पुत्र सुभान अली 2.श्री हबी बुर्रहमान अंसारी पुत्र- अनवर अहमद	श्री इस्लाम हुसैन पुत्र श्री तैय्यब हुसैन	रु. 883036/- +(ब्याज वसूली की दिनांक तक व अन्य खर्च + विधिक खर्च)	एक मंजिला भवन, मकान नं. 1305ए, स्थित मोहल्ला जाहिदाबाद, मौजा-हुमायूँपुर उत्तरी, तप्पा-कस्बा, परगना- हवेली, तहसील-सदर, जिला गोरखपुर एरिया-238.56 वर्गमीटर	उत्तर-इस्तफा हुसैन का मकान दक्षिण-मुर्तुजा हुसैन का मकान पूरब - 10 फीट चौड़ी सड़क पश्चिम-अख्तर हुसैन एवं असरफ हुसैन का मकान	07.09.2019 18.12.2019	रूपया- 3889773/-	रूपया- 389000/-	श्री शाहिद अहमद 8795819638	सांकेतिक कब्जा
10.	शाखा-उर्दू बाजार जिला-गोरखपुर ऋणि-मेसर्स न्यू इंडिया ट्रेडिंग कम्पनी प्रो. विनोद शर्मा जमानदार-1.श्रीमती ज्ञानी देवी, 2. रविन्द्र कुमार यादव	श्रीमती ज्ञानी देवी पत्नी स्व. बाबूलाल शर्मा	रु.1094225.13/- +(ब्याज वसूली की दिनांक तक व अन्य खर्च + विधिक खर्च)	एक मंजिला भवन, मकान नं. 00601 स्थित आराजी नं. 490मी, मौजा-महादेव झारखण्डी, टुकड़ा नं.3 तप्पा व परगना-हवेली तहसील-सदर, जिला गोरखपुर एरिया-161.23 वर्गमीटर	उत्तर - श्री झीनक का प्लाट दक्षिण-श्री लाल का मकान, पूरब-श्रीराम लखन का मकान पश्चिम-8 फीट चौड़ा रास्ता।	10.10.2019 18.12.2019	रूपया- 3699787/-	रूपया- 370000/-	श्री शाहिद अहमद 8795819638	सांकेतिक कब्जा
11.	शाखा-गोरखपुर जिला-गोरखपुर ऋणि-मेसर्स लिब्रो फ्यूल्स, प्रो. श्रीमती एकता अग्रवाल पत्नी-रूपेश अग्रवाल	श्रीमती एकता अग्रवाल पत्नी-रूपेश अग्रवाल	रु.14177431/- +(ब्याज वसूली की दिनांक तक व अन्य खर्च + विधिक खर्च)	व्यवसायीक भवन स्थित प्रथम तल एवं द्वितीय तल मकान नं.59ए का भाग स्थित मोहल्ला-चक जलाल (बलदेव प्लाजा के पीछे) तप्पा-कस्बा, परगना-हवेली तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर एरिया-96.74 वर्गमीटर	उत्तर- श्रीमती कौशल्या देवी का दुकान दक्षिण-20 फीट चौड़ी सड़क (खोवा मण्डी रोड) पूरब-दुकान एवं मकान हरबंश लाल गुप्ता (अग्रवाल एजेन्सी) पश्चिम-10 फीट चौड़ी गली	01.06.2017 05.09.2017	रूपया- 9667500/-	रूपया- 967000/-	श्री मनोज सिन्हा 9918002173	भौतिक कब्जा
12.	शाखा-बढ़नी जिला-गोरखपुर ऋणी-मेसर्स जायसवाल ट्रेडिंग कम्पनी प्रो.श्री प्रदीप कुमार जायसवाल जमानतदार-1.श्री अनिल कुमार मौर्या पुत्र राधेश्याम मौर्या, 2.श्री महेन्द्र कुमार पुत्र राम करन	श्री प्रदीप कुमार जायसवाल पुत्र अनन्त जायसवाल	रु.600324/- +(ब्याज वसूली की दिनांक तक व अन्य खर्च + विधिक खर्च)	एक मंजिला भवन स्थित मौजा मालहनपार, तप्पा-बभनौली परगना-धुरियापार, तहसील- खजनी, जिला-गोरखपुर एरिया-1725 वर्ग फीट	उत्तर- रामचन्द्र गुप्ता का प्लाट दक्षिण-इण्टरलाकिंग रास्ता, पूरब-रामचन्द्र गुप्ता का मकान, पश्चिम- सदरी जायसवाल का मकान	31.12.2019 25.06.2020	रूपया- 1682950/-	रूपया- 168000/-	श्री अंकित साहू 8795819639	सांकेतिक कब्जा
13.	शाखा-सुकरौली जिला-कुशीनगर ऋणी-मेसर्स विश्वकर्मा कन्स्ट्रक्टर एण्ड सप्लायर प्रो.-श्री रामनरेश विश्वकर्मा जमानतदार-1.अजय कुमार गौतम पुत्र गोरख नाथ। 2. राघवेन्द्र कुमार चौहान पुत्र बजरंगी चौहान	श्री रामनरेश विश्वकर्मा पुत्र मिठाई लाल	रु.1533702/- +(ब्याज वसूली की दिनांक तक व अन्य खर्च + विधिक खर्च)	चहारदीवारी एवं सेड युक्त भूमि, अराजी नं.311, मौजा-सुकरौली, तप्पा-बनचरा, परगना-सिलहट, तहसील- हाटा, जिला-कुशीनगर एरिया-0.023 हेक्टेयर	उत्तर- धनौती देवी पत्नी छत्रधारी की भूमि एवं उसके बाद सुबाष सिंह का मकान, दक्षिण- श्री रामनन्द विश्वकर्मा का 1/2 मकान हिस्सा पूरब-कच्चा रास्ता उसक बाद निर्माणाधीन मकान पश्चिम-रामकृपाल पुत्र परदेशी की भूमि	13.11.2019 05.03.2020	रूपया- 2371000/-	रूपया- 237000/-	श्री आशुतोष त्रिपाठी 8795819584	सांकेतिक कब्जा

नीलामी की नियम और शर्तें

उपरोक्त सम्पत्तियाँ रिजर्व प्राइस से कम पर विक्रय नहीं की जायेंगी। इच्छुक बोलीकर्ता अपनी निविदा ई.एम.डी. धनराशि (रिजर्व प्राईस का 10 प्रतिशत) के साथ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया, मुख्य शाखा-गोरखपुर के पक्ष में जारी मांग ड्राफ्ट एवं पैन कार्ड तथा फोटो पहचान पत्र के साथ दिनांक - 13.08.2020 को सायं 04.00 बजे तक प्रत्येक सम्पत्ति के लिए अलग-अलग आवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, प्रथम तल, ए.डी. टॉवर, बैंक रोड, गोरखपुर को अवश्य प्रेषित करें। निविदा दिनांक - 14.08.2020 को क्षेत्रीय कार्यालय प्रथम तल, ए.डी. टॉवर, बैंक रोड, गोरखपुर में पात्र बोलीकर्ताओं की उपस्थिति में प्रातः 11.00 बजे खोली जायेगी।

शर्तें:- 1. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक आवेदनकर्ता को अपने मोहरबन्द प्रस्ताव के साथ सम्पत्ति की रिजर्व प्राईस का 10 प्रतिशत की धनराशि का ड्राफ्ट प्राधिकृत अधिकारी सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया, गोरखपुर के पक्ष में जमा करना होगा। यह धनराशि प्रस्ताव मंजूर न होने की स्थिति में वापस किये जाने योग्य (Refundable) होगी। नीलामी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रातः 11 बजे से प्रारम्भ होगी। 2. नीलामी में सफल आवेदनकर्ताओं को अधिकतम बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत तुरन्त जमा करना होगा। इस धनराशि का भुगतान प्राधिकृत अधिकारी सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया, गोरखपुर के पक्ष में ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। यह धनराशि उपरोक्तानुसार जमा न किये जाने की स्थिति में बैंक द्वारा जमा की हुई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति की नीलामी पुनः की जाएगी। 3. अधिकतम बोली की नीलामी राशि का 75 प्रतिशत नीलामी क्रेता द्वारा प्राधिकारी/अधिकारी के पक्ष में 15वें दिवस तक जमा की जा सकती है। ऐसा न होने की स्थिति में नीलामी क्रेता द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा अचल सम्पत्ति की नीलामी पुनः की जायेगी।

4. सफल नीलामी क्रेता को स्टॉम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, सम्पत्ति कर अथवा राज्य सरकार आदि को देय धनराशि स्वयं वहन करना होगा।

5. यदि ऋणी विक्रय की तिथि से पूर्व बैंक को देय राशि का पूर्ण भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक जा सकता है। 6. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी प्रकार के चार्जेज, लियन (Lien) भार (Encumbrance) विद्युत विभाग अथवा जल विभाग के बकाये आदि के सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। 7. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कारण बताये नीलामी के सम्बन्ध में किसी बोली को स्वीकार अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। 8. नीलामी बैंक की पुष्टि (Confirmation) के आधार पर होगी। 9. अचल सम्पत्ति के निरीक्षण अथवा अन्य जानकारी हेतु इच्छुक आवेदनकर्ता सभी उपरोक्त सम्बन्धित शाखा से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं। यह प्रकाशन सूचना उपरोक्त ऋण खाता से सम्बन्धित भू-धारक/बन्धककर्ता अथवा जमानतदारों हेतु उक्त तिथि तक बिन्नी करने हेतु 30 दिन का नोटिस समझा जायेगा। यदि उनके द्वारा बकाया राशि का सम्पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

नोट- किसी सम्पत्ति में एक से अधिक बोलीकर्ता के द्वारा सीलबन्द आवेदन पत्र प्राप्त होने क स्थिति में, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खुली बोली करायी जा सकती है। और अधिकतम बोली लगाने वाले को सफल नीलामीकर्ता घोषित किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें- उपरोक्त अंकित सम्पत्तियों का बैंक द्वारा सरफेसी एक्ट-2002 के अन्तर्गत सांकेतिक कब्जा लिया गया है। बैंक द्वारा उपरोक्त सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा सरफेसी एक्ट-2002 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय के आदेश प्राप्त होने पर क्रेता को प्रदान किया जायेगा।